



Neutral Citation No - 2026:AHC:15939

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19489/2025

हिना कौसर

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य और 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : राजेश कुमार, श्याम सिंह

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी., पुनीत कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार निषाद, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह और श्री देवेन्द्र मिश्रा (एओआर नं. ए/डी 0847/21) के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के लिए श्री पुनीत कुमार गुप्ता को सुना ।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि रिट याचिकाकर्ता को 27.03.2023 को कानूनी सहायता अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था, हालांकि, रिट याचिकाकर्ता को अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पहली बार में जांच की आवश्यकता है।
4. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक अभ्यावेदन को प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है, जो उक्त प्रस्ताव पर आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर सख्ती से विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा ।

22 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)